11. फरलो की अवधि में शासकीय टेलीफोन तथा शासकीय वाहन सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

12. संवर्ग में कर्मचारी की वरिष्ठता यथावत् रहेगी। परन्तु वह संवर्ग में किसी प्रकार की क्रमोन्नति तथा पदोन्नति हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा और न ही उसे क्रमोन्नति/पदोन्नति का काल्पनिक रूप में लाभ दिया जायेगा।

13. फरलो की अवधि, पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना हेतु हिसाब में नहीं ली जायेगी।

14. ऐसे शासकीय सेवक, जिन्होंने एक निश्चित अवधि तक सेवा करने हेतु शासन के साथ बंध-पत्र निष्पादित किया है, उन्हें उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व फरलो की पात्रता नहीं होगी।

15. ऐसे शासकीय सेवक, जिन्होंने शासन से गृह निर्माण, वाहन इत्यादि हेतु कोई ऋण लिया है, उनसे नियमानुसार वसूली जारी रहेगी।

16. फरलो की अवधि में गृह-निर्माण, वाहन आदि ऋण की पात्रता नहीं होगी।

17. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के एक आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी निर्देशों के तहत अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

18. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक का पद भरा समझा जाएगा। फरलो पर प्रस्थित शासकीय सेवक के वेतन के आहरण की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष सक्षम होंगे।

19. फरलो की अवधि में शासकीय सेवक किसी भी समय शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा। त्यागपत्र देने के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। अगर फरलो पर जाते समय शासकीय सेवक अर्हकारी सेवा से पेंशन का पात्र है, तो फरलो के दौरान शासकीय सेवक किसी भी समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकेगा। इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

20. अगर पांच साल के बाद शासकीय सेवक शासन की सेवा में उपस्थित नहीं होता है तो :—

(अ) यदि उसने पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है तो, यह माना जायेगा कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

(ब) यदि उसने पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है तो, यह माना जायेगा कि उसने शासकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

2. कृपया इन निर्देशों का अपने समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 621/1356/2002/नियम/चार, दिनांक 5-8-2002 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.